Form No 111
फर्म अहकाम
(नियम 15)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम.:– राजाखेडा

रीसिंह बनाम मन्नू वगै0

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र U/S 212 R.T.Act नम्बर 42 सन् 23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.2023	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं सायल के सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एंव सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसालयान 1 लगयात 5 को दिनांक 11.07.2023 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा 572, 573, 582, स्थित ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा पर कब्जे काश्त में दखलान्दाजी नहीं करें, रहन, वय–मुन्तकिल नहीं करें, रिकार्ड एवं मौके की यथा–स्थिति बनायें रखें। इस संबंध में उन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 11.07.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11.07.2023 को पेश हो।	
27.06.2023	सायल के प्रार्थना पत्र पर पत्रा: दफ्तर से तलब की गई। सायल ने अपना मूल वाद पत्र प्रार्थना पत्र पेश कर खारिज करा लिया है अतः मूल वाद की रोशनी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी खारिज किया जाता है। स्थगन नोट हटाने बाबत परवाना तहसीलदार को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न रहे।	मुरारी